भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3463

जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

स्वच्छ ईंधन मानदंड

3463. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रदूषण के स्तर तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किस स्वच्छ ईंधन को अनुमोदित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध स्वच्छ ईंधन संसाधनों के संबंध में कोई से दिशा-निर्देश जारी किए हैं/मानदंड बनाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनाई है।

भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अनुमोदन किया तथा उसके बाद तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 की शुरूआत की गई थी। इस मिशन के भाग के रूप में भारी उद्योग विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से लागू करने के लिए एक स्कीम नामत: **फेम - इंडिया** (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण) अधिसूचित की गई है। इस स्कीम को छह वर्षों की अवधि में, 2020 तक लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें नियत अवधि के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास तथा इसके विनिर्माण संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र को बढावा देना अभिप्रेत है। इस स्कीम का उद्देश्य सभी प्रकार के वाहन सेगमेंटों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चौपहिया यात्री वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देना है।

इस स्कीम का उद्देश्य लगभग 9500 मिलियन लीटर के बराबर ईंधन की संचयी बचत करना है जिससे वर्ष 2020 तक 6-7 मिलियन वाहन प्रतिवर्ष बाजार में उतारने के लक्ष्य के साथ प्रदूषण तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2 मिलियन टन कमी लाना है। निकट भविष्य में इस मिशन का सड़क परिवहन के क्षेत्र में प्रदूषण घटाने वाले कार्यक्रमों में सबसे अधिक योगदान होगा।

(ग) और (घ): इन स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों के लिए सुगमता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने जीएसआर 412(ई) दिनांक 19 मई, 2015 के अनुसार फ्लेक्सी ईंधन एथेनॉल और एथेनॉल वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित कर दिए हैं।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी संपूर्ण देश में 5% एथेनॉल गैसोलीन ईंधन मिश्रण को अनिवार्य किया है तथा इसके अतिरिक्त, 10% एथेनॉल गैसोलीन मिश्रण तक की और अनुमति दी है। बीएस-IV ईंधन का प्रयोग भी चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है ताकि इसे वर्ष 2017 तक पूरे देश में शुरू किया जा सके।

*****